

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग  
आदेश

१४५(१) दि० २२/०९/२०१६

सं०सं०९/आ०-१३-४०/२०१५

/स्वा०/पटना,दिनांक

कार्यपालक

निदेशक राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार पटना के पत्रांक ७८०० दिनांक २७.११.२०१५ के द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र २४ X ७ के तहत संचालित अस्पतालों का निरीक्षण/अनुश्रवण राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा दूरभाष से की गई थी। निरीक्षण के दौरान अधोउल्लेखित अनुपस्थित पाये गये चिकित्सा पदाधिकारियों के विरुद्ध निम्नलिखित लघु दंड अधिरोपित करने का सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्णय लिया गया है:-


(क) एक दिन का वेतन कटौती की जाती है।

(ख) एक वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

क्रमांक	चिकित्सा पदाधिकारी का नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान
१.	डा० अरविन्द	चिकित्सा पदाधिकारी	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बिन्द, नालंदा
२.	डा० रमेश कुमार सिन्हा	तत्का० प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी बिन्द, नालंदा	जिला भेक्टर बर्न डिजिज नियंत्रण पदाधिकारी, नालंदा।
३.	डा० अजय कुमार श्रीवास्तव	प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र घोषी, जहानाबाद
४.	डा० वीरेन्द्र कुमार शाही	संविदा चिकित्सक	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र घोषी, जहानाबाद
५.	डा० विनोद कुमार	प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी	प्रा० स्वा० केन्द्र बड़हिया, लखीसराय।
६.	डा० अनिल कुमार ठाकुर	चि० पदा०	प्रा० स्वा० केन्द्र बड़हिया, लखीसराय
७.	डा० श्री निवास शर्मा	प्रभारी चि० पदा०	प्रा० स्वा० केन्द्र पिपरिया, लखीसराय
८.	डा० अशोक कुमार	चिकित्सा पदाधिकारी	प्रा० स्वा० केन्द्र सूर्यगढा, लखीसराय
९.	डा० सुधीर प्रसाद सिंह	प्रभारी चि० पदा०	प्रा० स्वा० केन्द्र लखीसराय
१०.	डा० अशोक कुमार सिंह	प्रभारी चि० पदा०	प्रा० स्वा० केन्द्र शेखपुरा सदर।
११.	डा० त्रिवेणी प्रसाद सिंह	प्रा० चि० पदा०	प्रा० स्वा० केन्द्र शेखपुरा सराय, शेखपुरा।

12.	डा० अमिताभ भूषण	अनुबंध चिकित्सक	प्रा० स्वा० केन्द्र शेखपुर सराय। (मात्र एक दिन का वेतन की कटौती होगी)
13.	डा० जिमाउद्दीन जावेद	चि० पदा०	प्रा० स्वा० केन्द्र परसौनी सीतामढी।
14.	डा० सुरेन्द्र नाथ मिश्रा	चि० पदा०	प्रा० स्वा० केन्द्र, रून्नी, रीगा।
15.	डा० दिलिप कुमार प्रभारी	प्र० चि० पदा०	प्रा० स्वा० केन्द्र भगवानपुर, बेगूसराय
16.	डा० शबनम बानो	प्र० चि० पदा० (संविदा)	प्रा० स्वा० केन्द्र मसौढ़ी पटना। (मात्र एक दिन का वेतन की कटौती होगी)
17.	डा० नवल किशोर बैठा	प्रभारी चिकित्सा	प्रा० स्वा० केन्द्र, पटना।

उपरोक्त सभी चिकित्सा पदाधिकारियों को दंड अधिरोपित किया जाता है।

  
(नागेन्द्र प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव,  
स्वा० विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक: 984(97)

/स्वा०, पटना, दिनांक:

22/09/2016

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, (ले० एवं ह०) बिहार पटना / अवर सचिव, वित्त(वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी जमुई/नालंदा/पूर्णियां/दरभंगा/बेगूसराय/सीतामढी/पश्चिमी चम्परण/लखीसराय/शेखपुरा/बेतिया एवं गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


प्रतिलिपि:- सिविल सर्जन जमुई/नालंदा/पूर्णियां/दरभंगा/बेगूसराय/सीतामढी/पश्चिमी चम्परण, बेतिया/लखीसराय/शेखपुरा एवं गोपालगंज को सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

लिपि:- सभी संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

लिपि:- कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री (स्वा०) के आप्त सचिव/प्रधान सचिव स्वा० के निजी सहायक/निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएँ बिहार पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी 1,2,3,5,7,8,9,10,12,17 एवं 18 (प्र० को०) स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

लिपि:- आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

  
सरकार के अवर सचिव